

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौँची(धनबाद)

अभिलेख सं. 181 (11) / 2016-17

वाद का प्रकार - बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के दृम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अं०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा लक्ष्मीपुर थाना नं. 19 खाता नं. 91
प्लॉट नं. ४२९, ५३१, १२४ इकड़ की
भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं. 105 के पृष्ठ संख्या 105 पर जमाबंदी रैयत चाषु शेरन के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के दिलच्छ कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृश्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण सूचा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 4/11/16 को उपरथापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचौँची

लोटिस रामलीला, राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक
के सम्बन्ध में इसका नोटिस का तानिला द्वारा। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत
या उनके बहक द्वारा जापति और ना ही राजस्व कानूनात समर्पित करने हेतु समय का
बीम किया जाया है। संविधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में
उल्लेखित है कि मौजा ~~लक्ष्मीगु~~ मौजा नं० 19 खाता नं० 91

- प्लॉट नं० 829, 431 12845 अन्म रकवा 2:32
से संविधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी ॥
के जमाबंदी भोलुम नं० 105 के पृष्ठ सं० में रैयत ~~लक्ष्मी~~ सारेन
सा० - के नाम से
कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के

/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी
है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की
विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड)
भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे
रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को
~~कर्तव्य~~ किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता,
धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।


अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

(3)

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी ऐयत का नाम :- सामु सोरेन स्थि मेंकु सोरेन
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मैसौर	19	91	829, 431, 1278, 1284 1286, 1277, 1384	2.326

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं० - 105 पर कार्यम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 69-70
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- शोभूल राजेन्द्र
6. किस सक्षम प्राधिकार/पक्षाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - शोभूल
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण हारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी ऐयत का नाम शोभूल
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिवार्यता सादा हुकमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबरस्ती) - शोभूल कौटुम्ब शोभूल 66(1) 69-70 का अध्ययन ५५
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जारीदार हारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबरस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) -
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
३०			८५-८६ प.स.

३०

३०

N
१८/४